1541

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–11503/24 दिनांक 04.12.24

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
कान्ती देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंस,
24 किमी0 माइलस्टोन नेशनल हाईवे 2
पो0 अकबरपुर तहसील छाता,
मथुरा ।

विषयः कान्ती देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंस, 24 किमी0 माइलस्टोन नेशनल हाईवे 2 पो0 अकबरपुर तहसील छाता, मथुरा में डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन ऑडियो एण्ड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–।/807162/2024 71–4099/70/2021– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 चिकित्सा शिक्षा विभाग Part(1) दिनॉक 27.11.2024 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण–पत्र/अनापत्ति में वर्णित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके प्रशिक्षण केन्द्र में **डिप्लोमा इन सी0टी0 स्कैन टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन ऑडियो एण्ड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन प्रशिक्षणों में 30–30 छात्र (प्रत्येक प्रशिक्षण)** प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्वता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तेः–

1. प्रशिक्षणों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

3. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से उत्तीर्ण अथवा समकक्ष/समतुल्य बोर्ड से उत्तीर्ण जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुसार ही अभ्यर्थी का प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये। यदि किसी गलत अभ्यर्थी का संस्था द्वारा प्रवेश लिया जाता है तो उसकी परीक्षा कार्यालय द्वारा नहीं करायी जायेगी और इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

4. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाय।

5. समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।

6. प्रशिक्षण सत्र् प्रतिवर्ष 01 अगस्त से प्रारम्भ होगा।

7. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके।

9. प्रत्येक सत्र् में प्रवेशित छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक किया जाना अनिवार्य है।

10. प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से अधिकतम रूपया 54,000/–(रूपया चौवन हजार) प्रतिवर्ष (रूपया 4,500/–प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

11. प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धता शुल्क रू0 15,000+18% GST प्रतिवर्ष (प्रत्येक प्रशिक्षण) इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

12. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार समय–समय पर कराया जायेगा। निर्धारित मानक पूरे न होने की दशा में मान्यता/सम्बद्धता आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।

13. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेगें। यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा दी गई मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

5.12.24

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।